बिड संख्या/Bid Number: GEM/2026/B/8078

दिनांक /Dated: 24-09-2

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	24-10-2026 11:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	25-10-2026 11:00:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	30 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Chhattisgarh
विभाग का नाम/Department Name	Food Civil Supplies And Consumer Protection Department Chhattisgarh
संगठन का नाम/Organisation Name	N/a
कार्यालय का नाम/Office Name	State
शिकायत निवारण के संपर्क विवरण/ Contact details of Grievance redressal	HOD Email id :mf_ctrlroom_raipur@gov.in Buyer Email id: dmo-bemetara.cg@nic.in
कुल मात्रा/Total Quantity	2000
वस्तु श्रेणी /Item Category	Rice Husk (Dry) (Q3)
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by t buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	3

बिड विवरण/Bid Details	
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	7
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाईजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	100000

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%)/ePBG Percentage(%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	12

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने है। एमएसई केटे अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevan category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

(c).ईएमडी और संपादन जमानत राशि लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / Earnest Money Deposit (EMD) shall also be accepted by the buyer in the form of a surety bond.

लाभार्थी /Beneficiary :
District Marketing Officer
District Marketing Office Old Jila Panchayat Bhawan Signal Chowk Bemetara CG
(Gajendra Kumar Rathore)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	No

एमआईआई खरीद वरीयता/MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता/MII Purchase Preference	No

Rice Husk (Dry) (2000 metric tonne)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Typical Properties	Moisture (%)	NA
	Nitrogen (%)	NA
	Approx. Carbon (%)	NA
	Oxygen (%)	NA
	Bulk density (kg/m3)	NA
	Sulphur (%)	NA
	Hardness (Mohrs scale)	NA
	Ash (%)	NA
	Hydrogen (%)	NA
	Length of husk (mm)	NA
Packaging	**Available Packaging Size**	50 Or higher **(kilogram)**
	Packaging Type	HDPE Bag
	Shelf Life (month)	NA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Gajendra Kumar Rathore	491335,Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd. Ward No-5, Mohbhatta, Bemetra C.G.	2000	15

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Generic**

   Bidder financial standing: The bidder should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.

2. **Generic**

   Bidders are advised to check applicable GST on their own before quoting. Buyer will not take any responsibilit this regards. GST reimbursement will be as per actuals or as per applicable rates (whichever is lower), subjec the maximum of quoted GST %.

3. **Generic**

   Buyer Organization specific Integrity Pact shall have to be complied by all bidders. Bidders shall have to uploa scanned copy of signed integrity pact as per Buyer organizations policy along with bid. Click here to view the

4. **Buyer Added Bid Specific ATC**

   Buyer Added text based ATC clauses

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में संग्रहण केन्द्रों के लिए सूखा धान भूसा निविदा निर्देश एवं मार्गद सूचनायें

निविदाकार जिनके द्वारा छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के जिला कार्यालय खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 संग्रहण के लिए डनेज के रूप में उपयोग करने के लिए सूखा धान भूसा एवं एक भरती प्लास्कि बोरी (साफ सुथरी 30''×19'' साईज की) आपूर्ति ई-निविदा प्रस्तुत की जा रही है। निम्नानुसार नियमों एवं शर्तो का भली-भांति अध्ययन कर लेवे। यह दिशा निर्देश तथा शर्ते निविदा स्व की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगे:-

1. निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी बीड में परिशिष्ट-2 अनुसार संलग्न करें:-

1.1. निर्धारित अमानत राशि किसी भी अनुसूचित बैंक से ''छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'' पेबल (Payable संबंधित ाद्ध के पक्ष में डी.डी. बनवाकर डी.डी की छायाप्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी. की मूल प्रति निविदा की अं तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

1.2. वस्तु एवं सेवा कर/विक्रय कर के वैध पंजीयन क्रमांक एवं वैधता तिथि ।

1.3. पेन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति तथा गत तीन वित्तीय वर्षो (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में से किन्हीं 02 वित्तीय आयकर रिटर्न की नोटरी द्वारा प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि।

1.4. विगत 02 वर्षों मे कालीसूची मे दर्ज नहीं होने का घोषणा पत्र 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर जमा करना है।

1.5. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बीड सही पाये जाने पर ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

1.6. सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् विपणन संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध एवं सत्यनिष्ठा संधि का न संबंधित जिला कार्यालय में किया जाना अनिवार्य है।

1.7. निविदाकार को निविदा के साथ बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, सुकमा, कोरबा, जशपुर, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, मनेन्द्र िरमिरी भरतपुर एवं कोरिया जिलों के प्रत्येक संग्रहण केंन्द्र हेतु 25000 रूपये के मान से (उदाहरण के लिए यदि किसी जिले 3 संग्रहण केन्द्र है तो उक्त जिलों के लिए 75000 रू. की अमानत राशि) एवं शेष जिलों के प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु 1,00,0(रूपये (1 लाख रूपये मात्र) अमानत राशि के मान से (उदाहरण के लिए यदि किसी जिले में 03 संग्रहण केन्द्र है तो उक्त जिलों िए 3,00,000 रू. की अमानत राशि) विपणन संघ के संबंधित जिलें के नाम पर Demand Draft किसी भी अनुसूचित से ''छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'' पेबल (Payable संबंधित जिला के पक्ष में डी.डी. डिमांड़ डॉफ्ट) बनवाकर डी ी छायाप्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि तक संबंधित जिला कार्यालय जमा किया जाना होगा। अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। जिले के कार्यशील संग्रहण केंन्द्रों की सूची त ग्रहण केंन्द्रों में लगने वाले अनुमानित सूखा धान भूसा एवं एक भरती प्लास्टिक बोरी की संख्या की जानकारी संबंधित जिला न अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । निविदाकार को एक जिलें के अंतर्गत आने वाले सभी संग्रहण केंन्द्रों के लिए ही निविदा दर भरना आवश्यक है एक जिलें के लिए पृथक-पृथक दरों पर विचार नही किया जावेगा।

2. निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देशः-

2.1 दरेः- वित्तीय बीड में दरें ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत करें।

2.2 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निवि अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

2.3 निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व ऑनलाईन भरी जावें।

2.4 जिले द्वारा जारी कार्यादेश संग्रहण केन्द्रों में एक भरती प्लास्टिक बोरी व सूखा धान भूसा एक भर्ती प्लस्टिक बोरी की आपूर्ति जावेगी।

2.5 कटी-फटी/अनुपयोगी/गीली/गन्दी बोरियां तथा आलू/प्याज/लहसुन/नमक की बोरीयां स्वीकार नहीं की जायेगी, ऐसी बोरियां क को स्वयं के व्यय पर बदलना होगा।

3. सूखा धान भूसा एवं एक भरती प्लास्कि बोरी आपूर्ति की अवधि एक वर्ष तक वैध रहेगा। आवश्यकता के आधार पर निविदा में वृद्वि का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा तथा सफल निविदाकार के लिए बंधनकारी होगा।

4. निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से भूसा एवं एक भर्ती प्लस्टिक बोरी आपूर्ति के पश्चात् देयक प्रस्तुत करने पर अनुबंध शर्तो के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।

5. निविदाकर्ता को जिला विपणन अधिकारी द्वारा संग्रहण केन्द्र में भूसा एवं एक भरती प्लास्टिक बोरी आपूर्ति हेतु दिये गये का के अनुरूप संबंधित संग्रहण केन्द्र में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। समय पर मांग अनुरूप आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में ह ली क्षति की वसूली निविदाकार से की जावेगी, उक्त आपूर्ति अन्य से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह निविदाकर्ता से की जावेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी।

6. निविदाकर्ता द्वारा भूसा एवं एक भरती प्लास्टिक बोरी आपूर्ति में लगने वाले समस्त टैक्स स्वयं वहन करना पड़ेगा। आयकर अन्य करों की स्त्रोत पर कटौती प्रचलित नियमानुसार की जाएगी। अतः दरे समस्त कर सहित भरी जावे। निविदा आमंत्रित क ी तिथि से निविदा अनुबंध पूर्ण होने तक लागू सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर शामिल होगें। यदि सफल निविदाकार किसी भी प्रकार के करों अथवा अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वों के भुगतान में अथवा पालन में लापरवाही बरती जाती है तो विपण घ को अधिकार होगा कि ऐसे सभी उत्तरदायित्वों के पेटे भुगतान की गई राशि की सफल निविदाकार से किसी भी प्रकार की त शि से वसूल कर लें।

7. धान भूसा सूखा होना अनिवार्य है। धान भूसा गीला एवं पुराना होने पर वाहन/ट्रक/मेटाडोर वापस किया जा सकता है, जिस कोई व्यय विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

8. धान भूसा एवं एक भरती प्लास्टिक बोरी की दर (लोडिंग अनलोडिंग सहित) गंतव्य तक पहुंचाकर भरा जावे।

9. धान भूसा एवं एक भरती प्लास्टिक बोरी के वाहन/ट्रक/मेटाडोर को धर्मकांटा में तौल अनुसार प्राप्त वजन के आधार पर ही न किया जावेगा।

10. निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर व ाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।

11. विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकता होने पर ही आपूर्ति आदेश जारी किये जावेगें। किन्हीं परिस्थितिवश किसी संग्रह न्द्र में भंडारण नहीं होने की स्थिति में सूखा धान भूसा व एक भरती प्लास्टिक बोरी का आपूर्ति आदेश देना अनिवार्य नहीं है के लिए किसी प्रकार की बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं होगा।

12. असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि अथवा डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित समिति के द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने प स कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

13. स्वीकृत निविदा वाले निविदाकार को धान भूसा व एक भरती प्लास्टिक बोरी आपूर्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले िला विपणन अधिकारी से अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध निष्पादन के उपरांत अमानत राशि के अतिरिक्त समय-सम जिले द्वारा जारी प्रत्येक डिलिवरी आर्डर के अनुपातिक कुल राशि का 03 प्रतिशत सुरक्षा निधी के रूप संबंधित जिले के बैंक अव में जमा किया जाना अनिवार्य है। सुरक्षा निधि प्राप्ति उपरांत ही जिले द्वारा डनेज सामग्री स्वीकार किया जाएगा। अनुबंध अवधि स होने के पश्चात अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि वापस की जा सकेगी एवं जमा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

14. सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित इकाई से अनुबंध न करने के फलस्वरूप जब्त ी है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 02 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेगें।

15. पूर्व वर्षो में काली सूची में दर्ज एवं विपणन संघ के बकायादार निविदा में भाग नहीं ले सकेगें, किन्तु
बकायादार द्वारा विपणन संघ की बकाया राशि मय ब्याज में जमा करने के पश्चात् निविदा में भाग ले सकेगे।

16. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का

भाग माना जावेंगा जैम पोर्टल की वेबसाईट में अपलोड किया जावेंगा ।

17. प्रस्तुत दरें युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक हों, अव्यवहारिक दरों वाली निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

18. निविदाकार यदि किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा धान भूसा व एक भरती प्लास्टिक बोरी समय पर प्रदाय नहीं करता ऐसी स्थिति में जिलें के कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि उसकी जमा अमानत राशि एवं जमा सुरक्षानिधि राजसात करते हु धित प्रदायक को दो वर्षों हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वीकृत दर पर किसी अन्य से कार ने हेतु सक्षम होगे।

19. धान भूसा व एक भरती प्लास्टिक बोरी विपणन संघ के आदेशित संग्रहण केन्द्रों पर स्वीकृत निविदा दर पर प्रदायक को देना वार्य होगा।

20. सफल निविदाकार को 100.00 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में विपणन संघ से संलग्न प्रारूप में इकरारनामा निष्
करना होगा।

21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं उभयपक्षो पर बंधनकारी होगा।

22. अनुमानित सूखा धान भूसा की मात्रा
अ. संग्रहण केन्द्रों की संख्या :- 01
ब. जिले में अनुमानित भूसे की आवश्यकता की मात्रा :- 2000 टन

23. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक / 243 / वि/ नि/ चार / 2015 नया रायपुर, दिनांक 06.07.201
रा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Int
ty Pact जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि
ntegrity Pact संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड
येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत
निधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्
कारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

24. सफल निविदाकार द्वारा आपूर्ति किये गये डनेज सामग्री के गुणवत्ता का निरीक्षण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जावेगा।

25. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्
कारी विपणन संघ मर्यादित, नवां रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होग
दोनों पक्षकारों को बंधनकारी होगा।

26. किसी संग्रहण केन्द्र पर कोई निविदा न आने या स्वीकृत न होने एवं भविष्य में नवीन संग्रहण केन्द्र की स्थापना होने पर
की दृष्टि से निकटतम संग्रहण केन्द्र के सफल निविदाकार को स्वीकृत दर अनुसार उक्त केन्द्र हेतु भी कार्य दिया जा सकता है,
निकटतम केन्द्र उसी जिले का अथवा अन्य जिले का हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में कंडिका की शर्ते लागू होंगी।

27. निविदाकार को सूखा धान भूसा को अनिवार्य रूप से एकभर्ती प्लास्टिक बोरी में भर कर धान सग्रहण केन्द्र पहुंचाना होगा
लगने वाले समस्त व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।

28 सफल निविदाकर को प्लास्टिक बैग्स मे भूसा भरकर एवं सिलाई कर जिलों के संग्रहण केंद्रों मे पूर्ति की या जाना है।

29. जिले के संग्रहण केंद्रों मे प्रत्येक स्टैक हेतु अधिकतम 650 नग प्लास्टिक बैग से भरे भूसे का उपयोग डनेज हेतु होना है। यद्य
पणन संघ द्वारा प्रत्येक स्टैक मे डनेज वाले बैग की संख्या एवं भूसा की मात्रा संबंधी मात्रा मे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन
जा सकता है।

30. सफल निविदाकार को विपणन संघ द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों यथा प्रत्येक स्टैक मे डनेज वाले बैग की सं
भूसा की मात्रा, आपूर्ति नियम एवं भुगतान संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

परिशि

छ० ग० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय-रायपुर (छ.ग.)

भाग "क"

(तकनीकी बीड हेतु)

दिनांक.....

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

1	निविदाकर्ता का नाम व पूरा पता (पत्र व्यवहार हेतु)	
2	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम	
3	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम	
4	वस्तु एवं सेवा कर/विक्रय कर के वैध पंजीयन क्रमांक एवं वैधता तिथि (संलग्न करें)	
5	आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं गत तीन वितीय वर्षा मे कि न्हीं दो वितीय वर्षों का आयकर रिटर्न विवरण की नोटरी द्वारा सत् यापित	
6	अमानत राशि	Demand Draft ..... दिनांक बैंक का नाम

7	निविदाकार दवारा किसी भी भारत/राज्य सरकार एवं भारत राज्य सरकार के अधीनस्थ संस्था में विगत 02 वर्षों में काली सूची में द र्ज नहीं होने का घोषणा पत्र 50/-रुपये के नॉन डिशियल स्टाम्प प र जमा करना है।	

परिशि

भाग- "ख"

(वित्तीय बीड हेतु)

दिनाक.....

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

द्वारा दूरभाषः-कार्यालय
.....

मेसर्स..... निवास.....
.....

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी

छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,

जिला ..... (छ.ग.)

नहोदय,

1 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, द्वारा जिलेवार धान भूसा प्रदाय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हनन जिला कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निधर्धारित फार्म क्रय किया है. हमने मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों,

दा/संविदा शर्तो, नियमों तथा दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है. उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन ए सहमत हैं।हु००।

2 इस बात की पुष्टि की जाती है कि हम मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरी में सभी प्रका कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

निविदाकार को जैम में उपलब्ध विकल्प अनुसार अपनी दर वित्तीय बीड/दर प्रस्तुत करनी होगी।

जिले का नाम	दर (रुपये में) प्रति मेट्रिक टन संग्रहण केन्द्रों तक पहुंचाकर	
	अंको में	शब्दों मे

परिशि

-: संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप :-

(100/-रूपये के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक ..... दिन..... को यह अनुबंध पत्र छठगणराज्य सहकारी विपणन संघ त, जिला विपणन अधिकारी .....जिला..... (छ०ग०) जिसे आगे चलकर "विपणन संघ" कहा जावेगा। क्रमांक-1 तथा मेसर्स ..... पक्ष क्रमांक-2 के मध्य किया जा रहा है

1 यह कि पक्ष क्रमांक-01 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026 -27 में धान भंडारण हेतु डनेज के लिए सूखा धान भूसा की दर प्रति गन्तव्य तक पहुंचाकर रुपये शब्दो मे .....स्वीकृत किया गया है।

2 यह कि पक्ष क्रमाक-02 द्वारा अनुबंधित अवधि निविदा स्वीकृति दिनाक से एक वर्ष तक स्वीकृत दर पर भूसा आपूर्ति करने चनबद्ध है। आवश्यकता के आधार पर निविदा समय में वृद्धि का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा तथा सफल निविदाकार के बंधनकारी होगा।

सफल निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में 15 दिवस में अनुबंध निष्पादन करना होगा। जमा अमानत राशि रक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3. निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से भूसा आपूर्ति के पश्चात् देयक प्रस्तुत करने पर अनुबंध की शर्तों के अनुरुप भुगतान कि ायेगा।

1. यह कि पक्ष क्रमांक-02 को पक्ष क्रमांक-01 की ओर से जिला विपणन अधिकारी दवारा संग्रहण केन्द्र में भूसा आपूर्ति हेतु गये कार्यादेश के अनुरूप सबंधित संग्रहण केन्द्र में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। समय पर आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में ह ली क्षति की वसूली पक्ष क्रमांक-02 से की जावेगी, उक्त आपूर्ति अन्य से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह पक्ष क्रमां से वसूल की जावेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी। उसे भविष्य के लिए दो वर्षों के लिए काली सूची में डाला केगा।

यह कि पक्ष क्रमांक-02 द्वारा भूसा एवं एक भरती प्लास्टिक बोरी आपूर्ति में लगने वाले समस्त टैक्स स्वयं वहन कर गा। निविदा आमंत्रित करने की तिथि से निविदा अनुबंध पूर्ण होने तक लागू सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं कर शामिल होगे तथा स टी के सबंध में प्रचलित दर लागू होगा। आयकर एवं अन्य करो की स्त्रोत पर कटौती प्रचलित नियमानुसार की जाएगी। यदि ल निविदाकार दवारा किसी भी प्रकार की करो अथवा अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वों के भुगतान में अथवा पालन में लापरवाही जाती है तो विपणन संघ को अधिकार होगा कि ऐसे सभी उत्तरदायित्वों को पेटे भुगतान की गई राशि की सफल निविदाकार सी भी प्रकार की देय राशि से वसूल कर ले।

यह कि पक्ष क्रमांक-02 को सूखा धान भूसा आपूर्ति करना होगा। धान भूसा गीला एवं पुराना होने पर पक्ष क्रमांक-(रा अस्वीकार किया जावेगा।

2. यह कि पक्ष क्रमांक-02 द्वारा धान भूसा के ट्रक/मेटाडोर को धर्मकांटा में तौल अनुसार प्राप्त वजन के आधार पर देयक प्रस्तुत किया जावेगा।
3. यह कि पक्ष क्रमांक-01 द्वारा नियमानुसार पक्ष क्रमांक-02 के बिल से आयकर की कटौती की जावेगी।

4 यह कि. पक्ष क्र. 2 निविदाकार को निविदा के साथ बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, सुकमा, कोरबा, जशपुर, गौरेला पेण्ड्रा मर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं कोरिया जिलों के प्रत्येक संग्रहण केंन्द्र हेतु 25000 रूपये के मान से (उदाहरण के लिए यदि किसी में 03 संग्रहण केन्द्र है तो उक्त जिलों के लिए 75000 रू. की अमानत राशि) एवं शेष जिलों के प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु 1,00,00(पये (1 लाख रूपये मात्र) अमानत राशि के मान से (उदाहरण के लिए यदि किसी जिले में 03 संग्रहण केन्द्र है तो उक्त जिलों के लि ,00,000 रू. की अमानत राशि) विपणन संघ के संबंधित जिलें के नाम पर Demand Draft किसी भी अनुसूचित बैंक से ''छ.ग य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'' पेबल (Payable संबंधित जिला के पक्ष में डी.डी. डिमांड़ डॉफ्ट) बनवाकर डी.डी की छायाप्रति ३ ईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि तक संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होग विदाकार यदि कंपनी फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। य यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या, मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

5. यह कि निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेत्तर समय के लिए स्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।

6. यह कि पक्ष क्रमांक-01 द्वारा संग्रहण केन्द्रवार आवश्यक मात्रा की जानकारी पक्ष क्रमांक-02 को समय-समय पर उपलब्ध कराया जावे

7. यह कि पक्ष क्रमाक-01 द्वारा संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकता होने पर ही आपूर्ति आदेश जारी किये जावेगे। किन्ही परिस्थितिवश किसी ण केन्द्र में भंडारण नहीं होने की स्थिति में भूसा आपूर्ति आदेश देना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता/हर्जाना वजा देय नहीं है।

8. यह कि पक्ष क्रमांक- 02 की निविदा की सभी शर्ते मान्य होगी। यदि पक्ष क्रमांक-02 किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा धान समय पर प्रदाय नहीं करता है तो उसकी जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा होने वाली क्षति की वसूली जमा सुरक्ष से की जावेगी।

9. यह कि पक्ष क्रमांक-02 दवारा धान भूसा की आपूर्ति विपणन संघ के सग्रहण केन्द्रों में उक्त स्वीकृत दरों

पर करनी होगी।

10. स्वीकृत निविदा वाले निविदाकार को धान भूसा आपूर्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के जिला विपणन अधिकारी से अनुब ष्पादित करना होगा। अनुबंध निष्पादन के उपरांत अमानत राशि के अलावा प्रत्येक देयक से 3 प्रतिशत राशि सुरक्षा निधी के रूप में ती की जावेगी। यह राशि अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस की जा सकेंगी एवं जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् विपणन संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध एवं सत्यनिष्ठा संधि का निष्प संबंधित जिला कार्यालय में किया जाना अनिवार्य है।

12. सभी विवादों और निविटा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहका पणन संघ मर्यादित रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

13 छत्तीसगढ़ शासन, वित एव योजना विभाग के पत्र क्रमाक 243/वि/नि/चार/2015 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2015 द्वारा आदेशाव छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ सभी मुख्यालय रायपुर एवं निविदाकार के मध्य "सत्यनिष्ठा संधि (integrity Pact) जो कि इस िदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सत्यनिष्ठा संधि" (integrity Part) संलग्न न स्थिति में निविदा अस्वीकार कर ही जावेगी। सत्यनिष्ठा संधि" (integrity Part) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्ट-06) उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहेड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। नि कार यदि कपनी फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक भागीदार दवारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह निष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या, मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

14. इत्त अनुबंध को निष्पादित करते समय सुरक्षानिधि के रूप में जमा की गई राशि का विवरण.....
.....

हस्ताक्षर..... हस्ताक्षर.....

पदनाम..... पदनाम.....

(पक्ष कमांक-01) (पक्ष कमांक-02)

सील ..... सील .....

साक्षी : साक्षी :

....

हस्ताक्षर.....

नाम व पता .....

हस्ताक्षर.....

नाम व पता .....

.

5. **Buyer Added Bid Specific ATC**

   Buyer uploaded ATC document Click here to view the file.

अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their Competent Authority. The Buyer ,is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid.All representations / grievan pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly and not with GeM.If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid & resultant contract shall be treated as nu void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of Sing Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.
3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents (other than EMD and signed Integrity Pact - which can be submitted with days of bid opening) in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.
6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.
7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers' controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers' Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experienc
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders thro a Random Algorithm executed by GeM system.
14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional te and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must b added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would nc allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; tl Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; a the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of In

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimur Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall contin to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. an any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliar shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Leve Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.

However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.

यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भा साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिक पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Rest on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compli this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---